प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात

दिनांक-22.07.2022

थाना रुरा पुलिस द्वारा हत्या की घटना से सम्बन्धित वांछित शातिर अभियुक्त राजू उर्फ राजीव पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम गहोबा थाना रूरा कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात के मार्गदर्शन एंव अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे अपराध पर अंकुश लगाये जाने व अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी अकबरपुर के कुशल नेतृत्व में थाना रुरा पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त राजू उर्फ राजीव पुत्र बाबूराम उम्र करीब 39 वर्ष निवासी ग्राम गहोबा थाना रूरा कानपुर देहात को दिनाँक 22.07.2022 को थाना रूरा क्षेत्र के रूरा डेरापुर मार्ग पर स्थित राधास्वामी सत्संग स्थल से गिरफ्तार किया गया है।

ज्ञात हो कि दिनांक 25.09.2021 को थाना रुरा क्षेत्र के ग्राम गहोबा में मारपीट के दौरान घायल मुनेश कुमार पुत्र जगमोहन की मृत्यु दिनांक 26.09.2021 को इलाज के दौरान हैलट अस्पताल कानपुर नगर में हुई थी जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता जगमोहन पुत्र कल्लू प्रसाद द्वारा अपने ही गांव के 10 नामजद व 3-4 अज्ञात के विरुद्ध आरोप लगाते हुये तहरीर दी तहरीर के आधार पर थाना रुरा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गम्भीरता को देखते हुये घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा टीमों का गठन करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना रुरा को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में निर्देशित किया था जिसके क्रम में पुलिस टीम के अथक प्रयासोपरांत घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 नामजद अभियुक्तों को पूर्व में ही जेल भेजने के उपरान्त आज दिनांक 22.06.2022 को 01 नामजद अन्य अभियुक्त राजू उर्फ राजीव उपरोक्त की संलिप्तता हत्या की घटना में पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.राजू उर्फ राजीव पुत्र बाबूराम उम्र करीब 39 वर्ष निवासी ग्राम गहोबा थाना रूरा कानपुर देहात।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 306/2021 धारा 302/147/325/323/504/506 भादवि व 3(2)(VA) एससी/एसटी एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 श्री सुरजीत थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

2.का0 43 देव थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

3.का0 896 सचिन कुमार थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।